भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1106
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लद्दाख में कैंसर के मामले और देखभाल संबंधी सुविधाएँ

†1106. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हाल के वर्षों में लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में कैंसर के मामलों में किसी कथित वृद्धि से अवगत है, यदि हां, तो कैंसर के प्रसार संबंधी उपलब्ध आंकड़ों, कैंसर के सबसे सामान्य रूप से निदान किए गए प्रकारों और क्षेत्र में इसकी मुख्य प्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लद्दाख के उच्च ऊंचाई और ठंडी जलवायु के विशिष्ट पर्यावरणीय, जीवनशैली, आहार संबंधी या व्यावसायिक कारकों को कैंसर के मामलों में वृद्धि से जोड़ने वाले कोई सबूत या अध्ययन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसकी छोटी और भौगोलिक रूप से सीमांकित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, शीघ्र पहचान सुनिश्चित करने और अंतर्निहित कारणों की जांच करने के लिए पूरे लद्दाख में एक व्यापक जनसंख्या-व्यापी स्क्रीनिंग और नैदानिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो इसके दायरे, रणनीति, समय-सीमा और बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कैंसर देखभाल अवसंरचना, नैदानिक सुविधाओं, शीघ्र पहचान सेवाओं और सामुदायिक जागरूकता पहलों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में पुरुषों में पेट, फेफड़े और ग्रासनली (इसोफेगल) कैंसर सबसे सामान्य प्रकार के कैंसर हैं, जबकि महिलाओं में स्तन, पेट और ग्रासनली (इसोफेगल) कैंसर सबसे सामान्य प्रकार के कैंसर हैं।

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र ने सूचित किया है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान निदान किए गए कैंसर के मामलों की कुल संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-2025**	**2025-2026**
निदान किए गए कैंसर मामले	50	87	173	208	214

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा 2025 में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने आहार संबंधी पैटर्न को प्रभावित किया है, जिससे आहार में विविधता तो बढ़ी है, लेकिन साथ ही कैंसर, हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोगों तथा मधुमेह जैसी दीर्घकालिक बीमारियों में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक आहार में हुए बदलावों ने आहार संबंधी पैटर्न को परिवर्तित किया है, जिसे इस क्षेत्र में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की बढ़ते मामलों का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। साथ ही, कृषि संबंधी कार्यकलापों से गैर-कृषि संबंधी कार्यकलापों की ओर हो रहा परिवर्तन भी रोगों की बढ़ती घटनाओं को प्रभावित करने वाला एक कारक माना जाता है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत देशभर के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार तथा स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के अंतर्गत देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर उपचार की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देशभर में 524 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यशील हैं, जिनमें से 02 डीसीसीसी लद्दाख में कार्यशील हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत लद्दाख सहित देश में तीन सामान्य कैंसरों (मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) सहित सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) तथा की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या-आधारित पहल लागू की गई है। इस पहल में, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उनकी जांच के लिए लक्षित किया जाता है। रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग सेवाएँ प्रशिक्षित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों [मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी (आशा) तथा सहायक नर्स एवं मिडवाइफ़ (एएनएम)] के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में इस कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पहचान तथा समय पर रेफरल को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मेलों सहित आउटरीच स्क्रीनिंग शिविरों और आईईसी/जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन किया जाता है।
